

तत्काल
आज ही

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

28 JAN 2016

कमांक एफ 4-47/सात-1/2015
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखनसामग्री,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:- विभागीय अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2016 को छत्तीसगढ़ असाधारण
राजपत्र में प्रकाशन बावत ।

—000—

विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक कमांक एफ 4-47/
सात-1/2015 दिनांक 28 जनवरी, 2016 के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ की एक-एक प्रतियां
संलग्न है। कृपया उपरोक्त अधिसूचना को आज ही छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में प्रकाशन
कराते हुए, प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराना कृपया
सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(पी.निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कमांक एफ 4-47/सात-1/2015-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान कराने के प्रयोजन के लिये, राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" की स्थापना करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(श्री. निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
28/1

Government of Chhattisgarh
Revenue and Disaster Management Department
Mantralaya
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Date 28 /01/2016

No. F 4-47/Seven-1/2015- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, establishes State level "the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority" for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,**

(P.Nihalani)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh

Revenue and Disaster management Department